भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-4

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

एनईईटी/आईआईटी-जेईई के विभिन्न कोचिंग सेंटरों को सुचारु बनाना

†*4. **डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एनईईटी/आईआईटी/जेईई के लिए देश भर में चल रहे विभिन्न कोचिंग सेंटरों को सुचारु बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए ऐसी कोचिंग किस प्रकार प्रदान करने का विचार है;
(ग) क्या सरकार को ऐसे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनसे छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

एनईईटी/आईआईटी-जेईई के विभिन्न कोचिंग सेंटरों को सुचारु बनाने के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए दिनांक 01.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): अविनियमित निजी कोचिंग सेंटरों की संख्या में वृद्धि; ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने के उदाहरण; आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य जीवन की हानि और इन केंद्रों द्वारा अपनाए जा रहे कई अन्य कदाचारों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने विचार एवं उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से आगे की कार्यवाही हेतु दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए है । इसके बाद दिनांक 16.07.2024 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक अन्य पत्र लिखा गया है। कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश यहां उपलब्ध हैं: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Guideliens_Coaching_Centres_en.pdf

दिशानिर्देशों में कोचिंग केंद्रों को परिभाषित करना, पंजीकरण हेतु आवश्यक शर्तों और दस्तावेजों को निर्दिष्ट करना, फीस से संबंधित मामले, कोचिंग केंद्रों की स्थापना के लिए अवसरंचनात्मक आवश्यकताओं की रूपरेखा, कोचिंग केंद्रों के लिए आचार संहिता की स्थापना; मानसिक कल्याण के महत्व पर बल देना, कोचिंग केंद्रों में परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों को प्राथमिकता देने की वकालत करना; कोई बैच अलगाव नहीं; अभिलेखों का रखरखाव आदि कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में निजी कोचिंग और ट्यूशन कक्षाओं को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश/विनियम/कानून जारी किए हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के मामले को हल करने के लिए दिनांक 13.11.2024 को व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश कोचिंग सेंटरों को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन देने और भ्रामक या अनुचित प्रथाओं में शामिल होने से रोकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोचिंग से संबन्धित कोई भी व्यक्ति सफल उम्मीदवार की लिखित सहमति के बिना विज्ञापन में उम्मीदवार के नाम, फोटोग्राफ, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग नहीं करेगा। ये दिशानिर्देश अनुचित अनुबंधों को भी विनियमित करते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कठोर दंड का प्रावधान करते हैं, जिससे कोचिंग क्षेत्र में जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित हो सके। सीसीपीए कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाता है और उन्हें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को बंद करने का निर्देश देता है।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं।विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को सुधारात्मक कक्षाएं प्रदान कर रही हैं।साथी केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसे नवंबर, 2023 में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन मूल्यांकन मॉड्यूल प्रदान करने के साथ-साथ जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके वितरण के लिए वेब प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, यूट्यूब लाइव सत्र और डीटीएच चैनलों का उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों के लिए क्यूरेटेड शिक्षण सामग्री के 15,000+ से अधिक बहुभाषी वीडियो व्याख्यान सभी प्रसंगों और विषयों में उपलब्ध हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, 15 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं और 400 मैंटर (आईआईटी, एम्स आदि से) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

*****